राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/9177 जयपुर,दिनांकः 4/5/22

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 सपठित धारा 337 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है, नगरीय विकास कर वसूली के संबंध में जारी आदेश दिनांक 22.03.2012 एवं अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/2013 दिनांक 22.02.2013 को जयपुर ऐयरपोर्ट की सीमा तक एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जयपुर ऐयरपोर्ट से नगरीय विकास कर की वसूली की गणना व्यावसायिक दर से की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/9178-9179 दिनांकः 4/5/22
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी